1938
3.8.16

परिपत्र

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

कार्यालय ... विभाग
... जयपुर
... 1518461
दि. 5/7/16

क्रमांक प.4(134)वित्त/अंकेक्षण/91 जयपुर, दिनांक 30-6-2016

कार्यालय शासन सचिव, वन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी क्रमांक 121846
दिनांक 1-7-16

समस्त अतिःमुख्य सचिव,
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान सरकार जयपुर।

विषय :- एक ही प्रकृति के आक्षेप बार–बार दोहराये जाने की स्थिति को रोकने एवं जनलेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं संबंधी समिति के परीक्षण के समय वांछित सही सूचनाएं उपलब्ध कराने एवं अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

सचिव, राजस्थान विधानसभा ने दिनांक 17.05.2016 को माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के वैश्म में प्रधान महालेखाकार, महालेखाकार एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के साथ आयोजित बैठक में की गयी चर्चा का कार्यवाही विवरण संलग्न कर निम्न अनियमितताओं की रोकथाम की कार्यवाही किये जाने हेतु ध्यान आकर्षित किया है –

1. महालेखाकार अंकेक्षण दलों द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के लेखों की जांच के पश्चात गठित किये गये आक्षेप बार–बार दोहराये जाते हैं। प्रधान महालेखाकार द्वारा ऐसे 88 विभागों एवं राजकीय उपक्रमों की सूची प्रस्तुत की है जिनमें विगत सात वर्षों से एक ही प्रकृति के आक्षेपों की पुनरावृत्ति हो रही है (सूची संलग्न)।
2. जन लेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/ स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति में परीक्षण के समय विभागों/राजकीय उपक्रमों द्वारा परीक्षण हेतु वांछित सूचनाओं को उपलब्ध नहीं कराने एवं छिपाये जाने का प्रयास किया जाता है।
3. अंकेक्षण के समय अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के एक ही प्रकृति के आक्षेप बार–बार दोहराया जाना, अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराया जाना तथा जन लेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति को परीक्षण हेतु वांछित सूचनाए उपलब्ध नहीं कराया जाना/तथ्यों को छिपाया जाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। इसे माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा ने अत्यन्त गंभीरता से लिया है। अतः एक ही प्रकृति के आक्षेप बार–बार दोहराये जाने, अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने तथा जन लेखा समिति/ राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के परीक्षण हेतु वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं तथ्यों को छिपाये जाने पर रोकथाम हेतु निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं –

प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 एक ही प्रकृति के आक्षेपों को बार-बार दोहराया जाना यह दर्शाता है कि विभाग/राजकीय उपक्रम की कार्य प्रणाली में कोई न कोई कमी है जिसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अतः एक ही प्रकृति के आक्षेपों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने हेतु विभागीय कार्य प्रणाली/प्रक्रिया/नियमों की समीक्षा की जाकर आवश्यकतानुसार संशोधन किए जावे तथा सभी विभागाध्यक्षों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियों को इसकी पालना सुनिश्चित कराये जाने हेतु पाबंद किया जावे।

2. जब भी जन लेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा विभागों/राजकीय उपक्रमों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जावे तो परीक्षण के समय वांछित सूचनाओं को छिपाने का प्रयास नहीं किया जावे एवं तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर सही सूचना दी जावे।

3. महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पूर्व में ही परिपत्र क्रमांक 13 (134) वित्त / अंकेक्षण/91 दिनांक 17.02.2016 जारी किया हुआ है जिसकी कड़ाई से पालना किया जाना अपेक्षित है।

कृपया इन निर्देशों की सख्ती से पालना कराया जाना सुनिश्चित करावे तथा की गयी कार्यवाही से राजस्थान विधानसभा, प्रधान महालेखाकार एवं वित्त विभाग को भी अवगत करावे।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

(आर.के. मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

933
17/2/16

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

कार्यालय शासन सचिव, वन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी क्रमांक 1084293
दिनांक 19/2/16

क्रमांक : प.13(134)वित्त/अंकेक्षण/91 जयपुर, दिनांक : 17/2/2016

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय : महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने बाबत।

शासन सचिव, वन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी क्रमांक 1084293
दिनांक 19/2/16

महोदय,

प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि महालेखाकार कार्यालय के अंकेक्षण दलों को विभागों द्वारा अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है। अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने से संबंधित विभाग/कार्यालय के लेखों की पूर्ण जांच नहीं हो पाती है। अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में महालेखाकार कार्यालय द्वारा विगत कुछ वर्षों में अंकेक्षण आक्षेपों का गठन किया गया है।

2. महालेखाकार कार्यालय के अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निम्नांकित पत्र जारी किए गए हैं–

(1) पत्र कमांक प.4(9) वित्त/रा.अंके./94 दिनांक 25.8.94
(2) पत्र कमांक प.12(1) वित्त/अंकेक्षण/98 दिनांक 02.12.99
(3) पत्र कमांक प.13(116) वित्त/अंकेक्षण/91 दिनांक 18.01.2005

वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के उपरान्त भी विभागों द्वारा महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति गंभीर है। अतः इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाकर पूर्व में प्रसारित आदेशों के क्रम में पुनः अनुरोध है कि निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करायें:–

1. जैसे ही महालेखाकर अंकेक्षण दल का अंकेक्षण कार्यक्रम प्राप्त हो, तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराने हेतु पाबंद किया जाना सुनिश्चित किया जावे। किसी भी परिस्थिति में अंकेक्षण कार्यक्रम स्थगित नहीं किया जावें ।

2. यदि अंकेक्षण दल को समय पर वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तथा इसके फलस्वरूप अंकेक्षण कार्यक्रम निष्फल हो जाता है, तो अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावें। यदि किन्हीं मामलों में जानबूझकर अभिलेख उपलब्ध कराने में कोताही बरती जाती है अथवा अनावश्यक रूप से असाधारण विलम्ब किये जाने की स्थिति ध्यान में आती है, तो ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से अंकेक्षण दल के वेतन–भत्तों पर हुये निष्फल व्यय की वसूली करने पर भी विचार किया जा सकता है।

3. महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के मामलों को प्रत्येक विभाग की ऑडिट समिति के समक्ष स्थायी एजेण्डा के रूप में विचारार्थ रखा जावें।

4. अंकेक्षण दलों को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के मामलों की विभागवार सूची महालेखाकार द्वारा प्रत्येक माह वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भिजवाई जायेगी। वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभागों के ध्यान में प्रकरण लाये जाकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुश्रवण किया जायेगा।

5. अंकेक्षण से संबंधित समस्त मामलों के उत्तर निर्धारित अवधि में प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक विभाग स्तर पर संयुक्त शासन सचिव तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों के स्तर पर अतिरिक्त विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने हेतु वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये है। अतः महालेखाकार, के अंकेक्षण दलों को वांछित सूचना /अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु भी इन नोडल अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जावें ताकि अंकेक्षण दलों को अभिलेख/सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो और शासन को जनलेखा समिति/ राजकीय उपक्रम समिति के समक्ष विषम स्थिति का सामना नहीं करना पड़े ।

6. समस्त अंकेक्षण मामलों के अनुश्रवण एवं महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख/सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्तानुसार नोडल अधिकारी नियुक्त करवाकर वित्त विभाग, महालेखाकार कार्यालय एवं राजस्थान विधानसभा को अवगत कराया जावें। नोडल अधिकारी का नाम पद, कार्यालय एवं निवास के दूरभाष नम्बर आदि का विवरण भी उक्त सूचना के साथ भेजा जावें । किसी अधिकारी का स्थानांतरण होने की स्थिति में कार्यग्रहण करने वाले अधिकारी को चार्ज देते समय नोडल अधिकारी का चार्ज भी संभलवाया जावे तथा नोडल अधिकारी का नाम, पद आदि बदले जाने पर सूचना पुनः वित्त विभाग, महालेखाकार कार्यालय एवं राजस्थान विधानसभा को प्रेषित की जावें।

अतः अनुरोध है कि महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख/ सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त सभी बिन्दुओं की अनुपालना कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी. एस. राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग।

(आर.के.मीणा)
संयुक्त शासन सचिव